प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला. चौकी एसीबी, भीलवाडा– द्वितीय, थाना. सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष – 2023
प्र. ई. रि. स. 12/2023 दिनांक 14/1/2023
(अ) अधिनियम. भ्र. नि. अधिनियम धाराये **7, 7ए पी.सी. एक्ट 2018 (संशोधित) 120बी भा.द.स.**
(ब) अधिनियम............. .... धारायें ....
(स) अधिनियम ....धारायें..
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 268 समय 11:30 A.M.
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक **गुरूवार :– 12.01.2023 समय 06.18 पी.एम.**
(स) थाना/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक– **09.12.2022 समय. 11:10 ए.एम.**
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – **टाईपशुद्वा**
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस चौकी से दिशा व दूरी – **दक्षिण बफासला करीब 1 कि.मी.**
(ब) पता – **रेल्वे स्टेशन के सामने, तम्बोली कचौरी के पास–भीलवाडा।**
बीट संख्या ....जरायमदेही सं..
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना...जिला...
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम – **श्री केदार सहनी**
(ब) पिता का नाम.... **श्री सुकुल सहनी**
(स) जन्म तिथि /वर्ष :–
(द) राष्ट्रीयता......... भारतीय
(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी......................................
जारी होने की जगह...
(र) व्यवसाय:– **व्यापार**
(ल) पता– निवासी– **बेलवा हाल लक्ष्मीपुरा, भीलवाडा।**
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. श्री शिम्भुदयाल पुत्र श्री उमराव सिंह बावरिया, उम्र–50 वर्ष निवासी सुभाषनगर, पोस्ट–मीरपुर, पुलिस थाना–नारनोल, जिला–महेन्द्रगढ हाल निवास म.न. 41, शिव मन्दिर के पास, जैन किराणा के सामने–सुभाषनगर, भीलवाडा हाल लाइजन अधिकारी, आई.आर. बी., मॉर्डन रोड मैकर्स प्रा.लि.

2. श्री हस्तीमल जैन पुत्र श्री मदन लाल जैन उम्र 52 वर्ष निवासी मकान नं 40 कमला पॉम, भीलवाडा (दलाल)

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही ...
चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) 50,000/–. रिश्वत राशि
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या

(अगर हो तो) 50,000/–. रिश्वत राशि

10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
भीलवाडा कृर्षि मंडी

विषयः– कानूनी कार्यवाही करने बाबत्।

महोदय जी,

निवेदन है कि मैने ग्राम लक्ष्मीपुरा (पुर) जिला भीलवाडा मे आराजी संख्या 7381 से 7386 तक मे से भुखण्ड संख्या 3 साईज 25 गुणा 40 का श्री राज सिंह जोधा निवासी भीलवाडा से खरीदा तथा उसके पास ही स्थित श्री चान्दमल सुवालका निवासी आसपुर का आवासीय मकान संख्या 24 साईज 32 गुणा 38.6 फिट का खरीदा, उक्त भुखण्ड संख्या 3 व मकान संख्या 24 मैने 500 रू के स्टाम्प पर क्रय की लिखापढी की थी। उक्त दोनो जमीन पर मैने रहने के लिए मकान बनाने का काम चला रखा है। आज दिनांक 09.12.2022 को सुबह करीब 09.30 बजे मेरे उक्त मकान पर एन.एच.ए.आई. के अधिकारी श्री शम्भुदयाल जी पटवारी साहब बोलेरो गाडी लेकर आये, जिन्होने मुझे कहा कि तुम यह हाईवे की जमीन मे बना रहे हो तुम अपना काम रोक देना नही तो मैं जे.सी.बी. लाकर निर्माण तोड दूगा फिर मैंने चान्दमल जी सुवालका को बुलाया जिन्होने बोलेरो मे सवार एन.एच.ए.आई. के शम्भुदयाल जी पटवारी से बात की तो पटवारी जी ने मेरा निर्माण नही तोडने के एवजं मे खुद के लिए व एन.एच.ए.आई. अधिकारियो के लिए 60,000 रूपये रिश्वत के मांगे, और कहा कि कोई भी अधिकारी तुम्हारा निर्माण नही तोडेगा, मेरी जिम्मेदारी है। मैं शम्भुदयाल जी पटवारी को खुद के लिए व एन.एच.ए.आई. के अधिकारीयो के लिए रिश्वत नही देना चाहता हूँ, और मैं उन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ, रिश्वत संबधी बातचीत मेरे साथ आये चांदमल जी सुवालका करेगे, क्यूकि मैं केवल साक्षर हुं व यहां की भाषा नही जानता हूँ। रिपोर्ट करता हूँ, कानूनी कार्यवाही कराने की कृपा करावें।

दिनांक :– 09.12.2022

प्रार्थी

श्री केदार सहनी पुत्र श्री सुकुल सहनी
निवासी बेलवा हाल लक्ष्मीपुरा, भीलवाडा
मो.न. 9929717556

श्री शिव प्रकाश, (पु.उ.अ.)
काननी कार्यवाही करें।
एसडी ब्रजराज सिंह 09.12.22
एसडी गोपाल
16.12.22
एस.डी पवन
16/12/22

<u>कार्यवाही पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाडा–द्वितीय</u>

दिनांक 09.12.2022 समय 11.10 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक शिवप्रकाश को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री ब्रजराज सिंह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा द्वितीय ने परिवादी श्री केदार सहनी पुत्र श्री सुकुल सहनी निवासी बेलवा हाल लक्ष्मीपुरा, भीलवाडा व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका पुत्र श्री नंदलाल सुवालका निवासी आसपुर जिला भीलवांडा द्वारा पेश शुदा रिपोर्ट मुझ पुलिस उप अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही का पृष्ठाकंन कर मय परिवादी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका के सूपूर्द की। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर परिवादी को सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सही होना व रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में मुझ पुलिस उप अधीक्षक

द्वारा दरियाप्त की गई। परिवादी ने बताया कि मैने ग्राम लक्ष्मीपुरा (पुर) जिला भीलवाडा मे आराजी संख्या 7381 से 7386 तक मे से भुखण्ड संख्या 3 साईज 25 गुणा 40 का श्री राज सिंह जोधा निवासी भीलवाडा से खरीदा तथा उसके पास ही स्थित श्री चान्दमल सुवालका निवासी आसपुर का आवासीय मकान संख्या 24 साईज 32 गुणा 38.6 फिट का खरीदा, उक्त भुखण्ड संख्या 3 व मकान संख्या 24 मैने 500 रू. के स्टाम्प पर क्रय की लिखापढी की थी। उक्त दोनो जमीन पर मैने रहने के लिए मकान बनाने का काम चला रखा है। आज दिनांक 09.12.2022 को सुबह करीब 09.30 बजे मेरे उक्त मकान पर एन.एच.ए.आई. के अधिकारी श्री शिम्भुदयाल जी पटवारी साहब बोलेरो गाडी लेकर आये, जिन्होने मुझे कहा कि तुम यह हाईवे की जमीन मे बना रहे हो तुम अपना काम रोक देना नही तो मैं जे.सी.बी. लाकर निर्माण तोड दूगा फिर मैंने चान्दमल जी सुवालका को बुलाया जिन्होने बोलेरो मे सवार एन.एच.ए.आई. के शिम्भुदयाल जी पटवारी से बात की तो पटवारी जी ने मेरा निर्माण नही तोडने के एवजं मे खुद के लिए व एन.एच.ए.आई. अधिकारियो के लिए 60,000 रूपये रिश्वत के मांगे, और कहा कि कोई भी अधिकारी तुम्हारा निर्माण नही तोडेगा, मेरी जिम्मेदारी है। मैं शिम्भुदयाल जी पटवारी को खुद के लिए व एन.एच.ए.आई. के अधिकारीयो के लिए रिश्वत नही देना चाहता हूँ, और मैं उन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ, रिश्वत संबधी बातचीत मेरे साथ आये चांदमल जी सुवालका करेगे, क्यूकि मैं केवल साक्षर हुँ व यहां की भाषा नही जानता हूँ। मजमुन रिपोर्ट व परिवादी से दरियाप्त पर मामला रिश्वत राशि लेन–देन का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का पाया जाता हैं। समय 11.20 ए.एम पर श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से कार्यालय के मालखाना से सरकारी वॉईस रिकॉर्डर व एक नया मेमोरी कार्ड निकलवा कर प्राप्त किया गया। समय 11.25 ए.एम पर परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु को वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करना सिखाया। परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के मन्तव्य से अवगत कराया गया तो परिवादी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु ने बताया कि आरोपी अभी वापस मौके पर आयेगा, आप अभी हमारे साथ किसी को भिजवा दो तो हम अभी मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा देते है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री गोपाल जोशी हैडकानि को तलब कर परिवादीगणो का व श्री गोपाल जोशी हैडकानि का आपस में परिचय करवाया जाकर तीनों के मोबाईल नम्बरों का आपस में आदान–प्रदान करवाया गया। समय 11.35 ए.एम पर परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु व श्री गोपाल जोशी हैड कानि को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सिपूर्द कर वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु पुर बाईपास रवाना किया गया। समय 01.15 पी.एम पर परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका व श्री गोपाल जोशी हैड कानि एसीबी चौकी भीलवाडा–द्वितीय पर उपस्थित आये श्री गोपाल जोशी हैड कानि ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश कर बताया कि कार्यालय से चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका की कार से रवाना हो परिवादी के के पुर बाईपास स्थित हाईवे किनारे निर्माणाधीन मकान के पास पहुँचे, थोडी देर बाद एक बोलेरो आकर रूकी, जिसमे चालक सहित तीन व्यक्ति बैठे नजर आये, परिवादीगण ने कहा कि आरोपी आ गया है। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालुकर चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को सिपूर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु आरोपी के पास रवाना किया, मैं परिवादी की कार मे ही थोडी दूर बैठा रहकर देखता रहा। परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका रवाना हो बोलेरो गाडी के पास पहुँचे जहां सडक के किनारे दो व्यक्ति खडे थे। जिनसे चांदमल उर्फ चन्दु लाल सुवालका दूर से बात करता नजर आया व परिवादी केदार सहनी थोडी दूरी पर खडा दिखायी दिया। करीब 20 मिनिट बाद परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका मेरे पास आये श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने चालु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सिपूर्द किया जिसे मैंने प्राप्त कर बंद किया। श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने मुझे बताया कि यहां से रवाना होकर हम आरोपी की बोलेरो गाडी के पास पहुँचे, वहां आरोपी के साथ एक आदमी और भी था, मैंने आरोपी से केदार सहनी के मकान को नही तोडने के संबध मे बातचीत की, आरोपी ने मेरे से 60,000 रूपये रिश्वत के मांगे, मेरे द्वारा कम करने की कहने पर 50,000 रूपये लेने पर सहमत हुये मैंने रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लिया है। फिर मैं व परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका पुर बाईपास, भीलवाडा से श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका की कार से रवाना हो कार्यालय मे उपस्थित आये। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका से दरियाप्त की तो उसने श्री गोपाल जोशी हैडकानि द्वारा बताये उक्त तथ्यों की ताईद कर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन हो जाना बताया। परिवादी श्री केदार सहनी ने भी उक्त तथ्यो की ताईद की। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री गोपाल जोशी हैडकानि द्वारा पेशशुद्वा रिश्वत राशि मांग सत्यापन की रिकॉर्डशुद्वा वार्ता दिनांक 09.12.2022 के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चलाकर सुना तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना पाया गया। श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने बताया कि आने वाले दो दिनो तक तो आरोपी के कार्यालय मे छुटटी है और उसके बाद मैं मेरे भानजे की शादी होने से सामाजिक कार्य मे व्यस्त रहुंगा। मेरे भानजे की शादी की आरोपी को भी जानकारी है। मेरे पास यदि आगे होकर रिश्वत राशि के लिए यदि आरोपी का फोन आ भी गया तो मैं शादी मे व्यस्त होने व शादी के कार्यक्रम से निपटने के बाद उपस्थित हो जाने के लिए कह दूंगा। मैं रिश्वत

राशि की व्यवस्था कर दिनांक 16.12.2022 को प्रातः 10 बजे केदार साहनी को साथ लेकर आपके कार्यालय मे उपस्थित हो जाऊंगा, जिस पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाना में श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से सुरक्षित रखवाया गया। समय 03.00 पी.एम पर परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को गोपनीयता रखने की हिदायत कर आवश्यक समझाईश कर रूखसत किया गया। दिनांक 16.12. 2022 समय 09.30 ए.एम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाना प्रस्तावित होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से खनि अभियंता, भीलवाडा के नाम तहरीर लिखकर दो स्वतन्त्र गवाह की तलबी हेतु कानि श्री शिवराज कानि को रवाना कार्यालय खनि अभियंता भीलवाडा किया। समय 09.45 ए.एम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भीलवाडा द्वितीय को श्री प्रहलाद हैड कानि, श्री पवन कानि, ए.सी.बी. चौकी भीलवाडा–प्रथम को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु सहायतार्थ चौकी भीलवाडा–द्वितीय पर तलब करने हेतु निवेदन किया। समय 10.15 ए.एम पर श्री शिवराज सिंह कानि मय कार्यालय खनि अभियंता, भीलवाडा से गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा व श्री पवन कुमार यादव, आशुलिपिक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा उपस्थित आये। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 10.25 ए.एम पर भ्र.नि.ब्यूरो चौकी भीलवाडा–प्रथम से श्री प्रहलाद हैड कानि, श्री पवन कानि ए.सी.बी. चौकी भीलवाडा–प्रथम से कार्यालय पर उपस्थित आये। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 10.30 ए.एम पर परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका कार्यालय पर उपस्थित आये। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 10.45 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित सुदा स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा व श्री पवन कुमार यादव, आशुलिपिक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा को बुलाने के प्रयोजन से अवगत करवाया। परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका की रिपोर्ट को दोनों गवाहान को पढकर सुनाया एवं पढाया गया। कार्यालय के मालखाना से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.12.2022 के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से निकलवा कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता दिनांक 09.12.2022 को चालुकर सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझकर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर परिवादीगण व गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.12.2022 के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाना में श्री गोपाल जोशी हैड कानि. से सुरक्षित रखवाया गया। समय 11.45 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थितशुद्वा श्री केदार सहनी पुत्र श्री सुकुल सहनी निवासी बेलवा हाल लक्ष्मीपुरा, भीलवाडा व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका पुत्र श्री नंदलाल सुवालका निवासी आसपुर जिला भीलवाडा को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री केदार सहनी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रूपये प्रस्तुत कर बताया कि अभी मेरे से अभी 25,000 रूपये की ही व्यवस्था हो पायी है, इसलिए 25,000 रूपये ही पेश कर रहा हूँ। परिवादी द्वारा पेश नोटों पर मुद्रित नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया, तत्पश्चात कार्यालय के मालखाना से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री पवन कुमार कानि 417 से निकलवाई जाकर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर श्री पवन कुमार कानि से फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री केदार सहनी की जामा तलाशी गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडते हुए पाउडर लगे नोटों को श्री पवन कुमार कानि से परिवादी की पहने हुए लोवर की बांयी जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात श्री रामेश्वर लाल कानि. 250 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरियान को दिखाया गया तो हाजरियान ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री पवन कुमार कानि की अंगुलियों, अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार मन् पुलिस उप अधीक्षक ने हाजरियान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात उक्त प्रक्रिया अपनाई जायेगी। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री पवन कुमार कानि से कार्यालय से बाहर फिंकवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री पवन कुमार कानि से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई तथा फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये सफेद कागज को जलाकर नष्ट करवाया गया। कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का

प्रदर्शन न करे तथा रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री रामेश्वर लाल कानि. से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 01.05 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थितशुद्वा परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को आरोपी की लोकेशन मालुमात करने की कहा तो श्री चांदमल उफ चन्दु सुवालका ने आरोपी से वार्ता कर बताया कि आरोपी अभी जरूरी राजकार्य से बाहर है और आरोपी ने बताया कि आज वह भीलवाडा नही आयेगा। आईन्दा जब भी भीलवाडा आयेगा तो सूचना कर देगा। समय 01.30 पी.एम पर चूकिं आज ट्रैप कार्यवाही होना सम्भव नही है। अतः मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाह के समक्ष कार्यालय मे मौजुद श्री पवन कानि से परिवादी की लोवर की बांयी जेब मे रखी पाउडरयुक्त रिश्वती राशि 25,000 रूपये सुरक्षित निकलवा कर सफेद कागज मे लपेटकर मालखाने मे सुरक्षित रखवायी गई। समय 01.45 पी.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा व श्री पवन कुमार यादव, आशुलिपिक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा, परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को हिदायत कर रूखसत किया गया। समय 02.00 पी.एम पर भ्र.नि. ब्यूरो चौकी भीलवाडा–प्रथम से उपस्थितशुद्वा श्री प्रहलाद हैड कानि, श्री पवन कानि को ए.सी.बी. चौकी भीलवाडा–प्रथम पर उपस्थित होने के लिए हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 21.12.2022 समय 01.30 पी.एम पर परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका उपस्थित चौकी आये। श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने बताया कि मेरी आज आरोपी पटवारी जी से बात हुई है। उन्होने कहां कि मैं आज 4 बजे तेरे से मिलूंगा, अतः आज ट्रैप कार्यवाही हो जायेगी। जिस पर श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को कार्यालय कक्ष मे बिठाया। समय 01.45 पी.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा व श्री पवन कुमार यादव, आशुलिपिक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा को अविलम्ब इस कार्यालय मे अग्रिम ट्रैप कार्यवाही हेतु उपस्थित होने हेतु सूचित किया। समय 01.50 पी.एम पर श्री प्रहलाद कुमार हैड कानि व श्री पवन कुमार कानि 417 भ्रनिब्यूरो भीलवाडा–प्रथम को अविलम्ब इस कार्यालय मे अग्रिम ट्रैप कार्यवाही हेतु उपस्थित होने हेतु सूचित किया। समय 02.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा व श्री पवन कुमार यादव, आशुलिपिक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा तलबी पर उपस्थित कार्यालय आये। समय 02.10 पी.एम पर श्री प्रहलाद कुमार हैड कानि व श्री पवन कुमार कानि 417 भ्रनिब्यूरो भीलवाडा–प्रथम से तलबी पर उपस्थित कार्यालय आये। समय 02.20 पी.एम पर स्वतंत्र गवाह के समक्ष श्री पवन कानि 417 से कार्यालय के मालखाने मे सफेद कागज मे लपेटकर रखी पाउडरयुक्त रिश्वती राशि 25,000 रूपये सुरक्षित निकलवा कर परिवादी की पहने हुई पेंट की बांयी जेब मे रखवायी गई, सफेद कागज का जलाकर नष्ट किया गया। श्री पवन कुमार कानि व समस्त जाप्ते के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। दिनांक 21.12.2022 समय 02.45 पी.एम पर मन्.शिवप्रकाश पुलिस उप अधीक्षक मय श्री गोपाल जोशी हैड कानि, श्री रामेश्वर लाल कानि, श्री प्रेमराज कानि, परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका प्राईवेट वाहन से तथा स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार, वरिष्ठ सहायक, व श्री पवन कुमार यादव, आशुलिपिक मय श्री प्रहलाद हैड कानि, श्री महेन्द्र कुमार कानि, श्री विनय प्रताप सिंह मय सरकारी वाहन बोलेरो से मय ट्रेप बॉक्स व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया खाली मेमारी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, व अन्य ट्रेप सामग्री साथ लेकर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु पुर बाईपास की ओर रवाना हुआ। समय 03.05 पी.एम पर मन् शिवप्रकाश पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त का रवानाशुद्वा आर.टी.ओ. चौराहा, भीलवाडा के सामने रामप्रसाद लढा नगर, भीलवाडा पहूॅचा। समय 03.25 पी.एम पर श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने बताया कि आरोपी मुझे कही भी बुला सकता है। इसलिए मैं पास ही स्थित अपनी होटल से मोटरसाईकिल लेकर आ जाता हूॅ। जिस पर श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को निर्देशित किया कि वह जल्दी जाकर अपनी मोटरसाईकिल लेकर आ जावें। समय 03.45 पी.एम पर श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका अपनी मोटरसाईकिल लेकर उपस्थित आया। समय 04.25 पी.एम पर श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका के फोन पर आरोपी का फोन आया व आरोपी ने बताया कि मैं 15 मिनिट बाद केदार सहनी के प्लॉट के सामने चितौड–अजमेर हाईवे रोड, भीलवाडा पर पहुॅच रहा हुॅ, तुम मुझे वही हाईवे रोड पर ही मिलना। समय 04.40 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड चालु कर सिपूर्द कर मय परिवादी श्री केदार सहनी के मोटरसाईकिल से केदार सहनी के प्लॉट के सामने चितौड–अजमेर हाईवे रोड, भीलवाडा रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के सरकारी व प्राईवेट वाहन से उक्त दोनो की मोटरसाईकिल के पीछे पीछे रवाना हुआ। समय 04.45 पी.एम पर मन् पुलिस उप

अधीक्षक मय हमराहीयान के सरकारी व प्राईवेट वाहन से रवाना हो लक्ष्मीपुरा हाईवे अन्डर ब्रिज के पास पहुँच, वाहनो को सुरक्षित पर खडे कर वाहनो मे ही मुकिम रहकर श्री रामेश्वर लाल कानि व प्रेमराज कानि को पैदल–पैदल श्री केदार सहनी के निर्माणाधीन मकान के आगे स्थित होटल के लिए रवाना कर मुकिम हुआ। समय 05.10 पी.एम पर श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका मय परिवादी श्री केदार सहनी के मोटरसाईकिल से उपस्थित आये, श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने चालु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी पेश किया। जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक ने प्राप्त कर बंद किया, पीछे–पीछे श्री रामेश्वर लाल कानि व प्रेमराज कानि भी पैदल–पैदल उपस्थित आये। श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने बताया कि मैं व केदार सहनी मोटरसाईकिल से रवाना हो चितौड–अजमेर हाईवे रोड, भीलवाडा रोड पर पहुँचे, जहां आरोपी मय चालक के बोलेरो वाहन मे उपस्थित मिला। मैने केदार सहनी से रिश्वत राशि अपने पास ले ली और केदार सहनी के सामने आरोपी से वार्ता की और आरोपी को रिश्वत राशि 25,000 रूपये देना चाहा तो आरोपी ने कहा कि मैं पुरे 50,000 रूपये लुगा। फिर आरोपी उसकी बोलरो वाहन मे मुझे बिठाकर केदार सहनी निर्माणाधीन मकान पर ले गया, पीछे–पीछे केदार सहनी मोटरसाईकिल से आया। केदार सहनी के निर्माणाधीन मकान पर आरोपी ने और काम के संबध मे बातचीत की, और मौके पर कहा तक निर्माण करना है और कहा तक तोडना है, यह भी बताया। आरोपी ने रिश्वत राशि ग्रहण नही की और कहा कि पुरे 50,000 रूपये ही लुगा, यह कहकर अपने बोलेरो वाहन से चला गया। तत्पश्चात श्री केदार सहनी से दरियाप्त की तो उसने भी उक्त हालात की ताईद की। तत्पश्चात श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका द्वारा पेशशुदा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालुकर सूना तो परिवादीगण द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। समय 06.00 पी.एम पर परिवादीगण ने बताया कि अभी हमारे काम होने से हम यही पर रूक जाते है, कल हम शेष 25,000 रूपये की और व्यवस्था कर कार्यालय पर उपस्थित हो जायेगे। परिवादीगण श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका व श्री केदार सहनी को पाउडरयुक्त रिश्वती राशि के बारे मे पूछा तो श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने अपनी पेंट की बांयी जेब रखी होना बताया। जिसे श्री गोपाल जोशी हैडकानि से निकलवा कर सफेद कागज मे लपेटकर सुरक्षित रखवायी गई। समय 06.15 पी.एम पर परिवादीगण श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका व श्री केदार सहनी को हिदायत कर रूखसत किया गया। समय 06.25 पी.एम पर मन् शिवप्रकाश पुलिस उप अधीक्षक मय श्री गोपाल जोशी हैड कानि मय सफेद कागज मे लपेटकर रखी रिश्वत राशि 25,000 रूपये, श्री रामेश्वर लाल कानि, श्री प्रेमराज कानि प्राईवेट वाहन से तथा स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार, वरिष्ठ सहायक, व श्री पवन कुमार यादव, आशुलिपिक मय श्री प्रहलाद हैड कानि, श्री महेन्द्र कुमार कानि, श्री विनय प्रताप सिंह मय सरकारी वाहन बोलेरो से मय ट्रेप बॉक्स व दिनांक 21.12.2022 को लेन–देन प्रयास की वार्ता का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमारी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, व अन्य ट्रेप सामग्री के लक्ष्मीपुरा हाईवे अन्डर ब्रिज के पास से रवाना कार्यालय हुआ। समय 06.55 पी.एम पर मन् शिवप्रकाश पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त का रवानाशुद्वा ए.सी.बी. कार्यालय भीलवाडा–द्वितीय पहुँचा। श्री गोपाल जोशी हैड कानि मय सफेद कागज मे लपेटकर रखी रिश्वत राशि 25,000 रूपये व दिनांक 21.12.2022 को लेन–देन प्रयास की वार्ता के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमारी कार्ड को कार्यालय के मालखाने मे सुरक्षित रखवाया। समय 06.55 पी.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार, वरिष्ठ सहायक, व श्री पवन कुमार यादव, आशुलिपिक को हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 22.12.2022 समय 01.30 पी.एम पर परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका उपस्थित चौकी आये। परिवादीगण ने दरियाप्त पर बताया कि 25,000 रूपये शेष रिश्वत राशि की भी व्यवस्था करके लाये है। श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने बताया कि मेरी आज सुबह आरोपी पटवारी जी से बात हुई है। उन्होने कहां कि मैं आज शाम को 4–5 बजे तेरे से मिलूंगा, अतः आज ट्रैप कार्यवाही हो जायेगी। जिस पर श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को कार्यालय कक्ष मे बिठाया। समय 01.45 पी. एम पर स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा व श्री पवन कुमार यादव, आशुलिपिक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा को अविलम्ब इस कार्यालय मे अग्रिम ट्रैप कार्यवाही हेतु उपस्थित होने हेतु सूचित किया। समय 02.15 पी.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा व श्री पवन कुमार यादव, आशुलिपिक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा तलबी पर उपस्थित कार्यालय आये। समय 02.30 पी. एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थितशुद्वा श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली शेष रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री केदार सहनी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा पेश नोटों पर मुद्रित नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया, तत्पश्चात कार्यालय के मालखाना से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री पवन कुमार कानि 417 से निकलवाई जाकर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर श्री पवन कुमार कानि से फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री केदार सहनी की जामा तलाशी गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडते हुए पाउडर लगे नोटों को श्री पवन कुमार कानि से परिवादी की पहनी हुई पेंट की बांयी जेब में रखवाये गये।

[redacted]

तत्पश्चात श्री रामेश्वर लाल कानि. 250 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरियान को दिखाया गया तो हाजरियान ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री पवन कुमार कानि की अंगुलियों, अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार मन् पुलिस उप अधीक्षक ने हाजरियान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात उक्त प्रकिया अपनाई जायेगी। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री पवन कुमार कानि से कार्यालय से बाहर फिंकवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री पवन कुमार कानि से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई तथा फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये सफेद कागज को जलाकर नष्ट करवाया गया। कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री रामेश्वर लाल कानि. से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.30 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के मालखाने से सफेद कागज मे लपेटकर रखे पाउडरयुक्त 25,000 रूपये रिश्वती राशि को कानि श्री पवन कुमार से निकलवा कर परिवादी श्री केदार सहनी की पहनी हुई पेंट की बांयी जेब मे रखवाये। सफेद कागज को जलाकर नष्ट किया गया। श्री पवन कुमार कानि हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। समस्त ट्रैप पार्टी के सदस्यो के हाथ पुनः साबुन पानी से धुलवाये गये। समय 03.45 पी.एम पर परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को आरोपी लोकेशन मालुमात करने के लिये कहा तो श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने आरोपी से वॉटसएप कॉल पर वार्ता की तो आरोपी ने बताया कि मैं आज बाहर हूँ और देर रात तक भीलवाडा पहुँचुंगा तथा मैं कुछ दिनो के लिये बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर मैं तुम्हे कॉल कर बता दूंगा। श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने बताया कि आज व आने वाले कुछ दिनो आरोपी के बाहर जाने से ट्रैप कार्यवाही नही हो पायेगी। आईन्दा जब भी आरोपी का मेरे पास कोई कॉल या समाचार आयेगा तो मै आपको सूचित कर दुंगा। समय 04.15 पी. एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री केदार सहनी की पेंट की बांयी जेब मे रखे पाउडरयुक्त 25000–25000 रूपये कुल 50,000 रूपये श्री शिवराज सिंह कानि से निकलवा कर सफेद कागज मे लपेट कर मालखाने मे सुरक्षित रखवाये। समय 04.45 पी.एम पर परिवादी श्री केदार सहनी, श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका व स्वतन्त्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा व श्री पवन कुमार यादव, आंशुलिपिक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा तथा श्री प्रहलाद कुमार हैड कानि व श्री पवन कुमार कानि 417 भ्रनिब्यूरो भीलवाडा–प्रथम को गोपनीयता रखने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 06.01.2023 समय 01.30 पी.एम पर परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका उपस्थित चौकी आये। श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने बताया कि मेरी आज सुबह आरोपी पटवारी जी से बात हुई है, उन्होने कहां कि मैं आज शाम को 4–5 बजे तेरे से मिलूंगा, आज शाम को तु अकेला ही मेरे से मिलना, केदार सहनी को तेरे साथ लेकर मत आना, शाम को मैं कॉल कर बता दूंगा कि अपन कहा मिलेंगे, अतः आज ट्रैप कार्यवाही हो जायेगी। जिस पर श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को कार्यालय कक्ष मे बिठाया, हालात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा–द्वितीय को अर्ज किये। समय 02.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा व श्री पवन कुमार यादव, आशुलिपिक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा को अविलम्ब इस कार्यालय मे अग्रिम ट्रैप कार्यवाही हेतु उपस्थित होने हेतु सूचित किया। समय 03.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार, वरिष्ठ सहायक, व श्री पवन कुमार यादव, आशुलिपिक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा तथा श्री प्रहलाद हैडकानि तलबी पर उपस्थित कार्यालय आये। समय 03.30 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के मालखाने से सफेद कागज मे लपेटकर रखे पाउडरयुक्त 50,000 रूपये रिश्वती राशि को कानि श्री किशोर कुमार से निकलवा कर श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका की पहनी हुई पेंट की बांयी जेब मे रखवाये। सफेद कागज को जलाकर नष्ट किया गया। श्री किशोर कुमार कानि हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। समस्त ट्रैप पार्टी के सदस्यो के हाथ पुनः साबुन पानी से धुलवाये गये। समय

[redacted]

05.25 पी.एम पर श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को आरोपी लोकेशन मालुमात करने के लिये कहा तो श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने कहां कि मैं आरोपी से अपने मोबाईल से वॉटसएप कॉल कर लेता हूँ, जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया ममोरी कार्ड निकालकर श्री गोपाल जोशी हैडकानि से चालु करवा कर श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने आरोपी के मोबाईल से वॉटसएप कॉल कर वार्ता करवा वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड की तो आरोपी ने एक फोन नंबर नोट करवा उस पर सम्पर्क करने के लिए कहा, बाद वार्ता के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बंद किया। दर्ज वार्ता के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मालखाने मे सुरक्षित रखवाया गया। समय 05.35 पी.एम पर श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने आरोपी द्वारा बताये मोबाईल नंबर 94133–55570 पर सम्पर्क किया तो उस व्यक्ति ने उसे थोडी देर बाद बाजार नंबर–2 भीलवाडा या कोर्ट के पास मिलने के लिये कहा, जिस पर परिवादी ने बताया कि मैं थोडी देर मे बाजार नंबर–2 भीलवाडा पहुँच कर आपसे सम्पर्क करता हूँ। समय 06.00 पी.एम पर श्री गोपाल जोशी हैड कानि, श्री प्रेमराज कानि मय श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका के साथ श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका के प्राईवेट वाहन कार से बाजार नंबर–2 भीलवाडा के लिए रवाना कर मन् शिव प्रकाश पुलिस उप अधीक्षक, मय परिवादी केदार सहनी, गवाह श्री पवन कुमार यादव प्राईवेट वाहन से तथा स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार मय श्री प्रहलाद हैड कानि, श्री महेन्द्र कुमार कानि, श्री शिवराज सिंह कानि, श्री अशोक कुमार कानि, श्री विनय प्रताप सिंह मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक विनोद कुमार मय ट्रेप बॉक्स डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया मेमारी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, व अन्य ट्रेप सामग्री के बाजार नंबर–2 भीलवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 06.20 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक उपरोक्त का रवानाशुद्वा मय हमराहीयान के बाजार नंबर–2 भीलवाडा पहुँचा। श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को अपने फोन से आरोपी द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर 94133–55570 पर कॉल कर सम्पर्क करने हेतु निर्देशित कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर श्री गोपाल जोशी हैडकानि से चालु करवा वार्ता करवायी तो मोबाईल नंबर 94133–55570 धारक द्वारा शाम की सब्जी मंडी भीलवाडा मे आने हेतु बताया, बाद रिकॉडिंग वार्ता के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को बंद कर स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। समय 06.30 पी.एम पर श्री गोपाल जोशी हैड कानि, श्री प्रेमराज कानि मय श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका के साथ श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका के प्राईवेट वाहन कार से शाम की सब्जी मंडी–भीलवाडा के लिए रवाना कर मन् शिव प्रकाश पुलिस उप अधीक्षक, मय परिवादी केदार सहनी, गवाह श्री पवन कुमार यादव प्राईवेट वाहन से तथा स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार मय श्री प्रहलाद हैड कानि, श्री महेन्द्र कुमार कानि, श्री शिवराज सिंह कानि, श्री अशोक कुमार कानि, श्री विनय प्रताप सिंह मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक विनोद कुमार मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, व अन्य ट्रेप सामग्री के बाजार नंबर–2 भीलवाडा से शाम की सब्जी मंडी–भीलवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 06.35 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक उपरोक्त का रवानाशुद्वा मय हमराहीयान के शाम की सब्जी मंडी–भीलवाडा के पास पहुँचा। श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को हिदायत की कि आरोपी यदि वहां उपस्थित हो तो रिश्वत राशि आरोपी के कहे अनुसार रिश्वत राशि दे देवे, अन्यथा आरोपी के बताये हुये व्यक्ति से अपने काम के संबध मे विस्तृत बातचीत करे व तत्समय रिश्वत राशि प्रदान नही करे। श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को श्री गोपाल जोशी हैडकानि से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवा सिपूर्द कर आरोपी द्वारा बताये गये मोबाईल नंबर 94133–55570 धारक से सम्पर्क हेतु श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका की प्राईवेट कार से रवाना किया। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान के सुरक्षित स्थान पर मुकिम रहा। समय 06.45 पी.एम पर श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका उपस्थित आया व डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु हालत मे पेश किया, जिसे प्राप्त कर बंद कर स्वयं के पास सुरक्षित रखा। श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने बताया कि मैं आपके पास से रवाना हुआ, इसी दौरान उक्त नंबर से मेरे पास फोन आ गया जिसके कहे अनुसांर मैं पी.एन.बी बैंक के पास, शाम की सब्जी भीलवाडा पहुँचा और आरोपी द्वारा बताये व्यक्ति से मिला और मेरे काम के संबध मे बातचीत की तो उस व्यक्ति ने बताया कि आप मुझे 50,000 रूपये दे जाना जो मैं साहब के पास पहुँचा दूंगा, काम के संबध मे आपकी आपस मे बातचीत हो चुकी है। श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने बताया मैने उनसे कल सुबह 10–11 बजे सम्पर्क करने के लिए कहा है। श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने बताया कि कल सुबह मुझे आवश्यक सामाजिक कार्य होने से मेरे गांव आसपुर जाना है, अतः कल सुबह मैं उपस्थित नही हो सकूंगा। यदि उक्त व्यक्ति का कल आगे होकर मेरे पास फोन आया तो मैं बाहर होने व आईन्दा सम्पर्क कर लेने के लिए कह दूंगा। समय 07.00 पी.एम पर श्री गोपाल जोशी हैड कानि, श्री प्रेमराज कानि मय श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका के साथ श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका के प्राईवेट वाहन कार से कार्यालय के लिए रवाना कर मन् शिव प्रकाश पुलिस उप अधीक्षक मय दर्ज वार्ता के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मय परिवादी केदार सहनी, गवाह श्री पवन कुमार यादव प्राईवेट वाहन से तथा स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार मय श्री प्रहलाद हैड कानि, श्री महेन्द्र कुमार कानि, श्री शिवराज सिंह कानि, श्री अशोक कुमार कानि, श्री विनय प्रताप सिंह मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक विनोद कुमार मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, व अन्य ट्रेप सामग्री के शाम की सब्जी मंडी–भीलवाडा से कार्यालय रवाना हुआ। समय 07.10 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक उपरोक्त का रवानाशुद्वा मय हमराहीयान

के रवाना हो ए.सी.बी. कार्यालय भीलवाडा पहुँचा। समय 07.15 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका की पेंट की बांयी जेब मे रखे पाउडरयुक्त 50,000 रूपये श्री शिवराज सिंह कानि से निकलवा कर सफेद कागज मे लपेट कर मालखाने मे सुरक्षित रखवाये। दिनांक 06.01.2022 को रिकॉर्ड वार्ता के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को भी मालखाने मे सुरक्षित रखवाया। समय 07.30 पी.एम पर परिवादी श्री केदार सहनी, श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका व स्वतन्त्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार व श्री पवन कुमार यादव तथा श्री प्रहलाद कुमार हैड कानि भ्रनिब्यूरो भीलवाडा–प्रथम को गोपनीयता रखने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 12.01.2023 समय 04.00 पी.एम पर परिवादी श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका उपस्थित चौकी आये। श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने बताया कि मेरी कल आरोपी शिम्भुदयाल जी पटवारी से वॉटसएप कॉल बात हुई है, उन्होने कहां कि तू अभी तक हस्तीमल जी जैन से नही मिला क्या ? तेरे को यदि नही मिलना हो और पैसे नही देने हो तो भी साफ–साफ बता दे, जिस पर चांदमल उर्फ चन्दू सुवालका ने बताया कि मैने उन्हे कहा कि मैं आपके द्वारा बताये गये हस्तीमल जी जैन से कल शाम को 5–6 बजे मिल लूंगा, इसलिए मैं और केदार सहनी अभी आये है, आज ट्रैप कार्यवाही हो जायेगी। जिस पर श्री केदार सहनी व श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को कार्यालय कक्ष मे बिठाया, हालात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा–द्वितीय को अर्ज किये। समय 04.35 पी.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा व श्री पवन कुमार यादव, आशुलिपिक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा तथा एसीबी चौकी भीलवाडा–प्रथम से श्री प्रहलाद हैडकानि, श्री पवन कुमार कानि को अविलम्ब इस कार्यालय मे अग्रिम ट्रैप कार्यवाही हेतु उपस्थित होने हेतु सूचित किया। समय 04.55 पी.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री गोपाल लाल पॅवार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा व श्री पवन कुमार यादव, आशुलिपिक, कार्यालय खनि अभियंता–भीलवाडा तथा एसीबी चौकी भीलवाडा–प्रथम से श्री प्रहलाद हैडकानि, श्री पवन कुमार कानि तलबी पर उपस्थित कार्यालय आये। समय 05.30 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के मालखाने से सफेद कागज मे लपेटकर रखे पाउडरयुक्त 50,000 रूपये रिश्वती राशि को कानि श्री पवन कुमार से निकलवा कर परिवादी श्री केदार सहनी की पहनी हुई पेंट की बांयी जेब मे रखवाये। सफेद कागज को जलाकर नष्ट किया गया। श्री पवन कुमार कानि के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। समस्त ट्रैप पार्टी के सदस्यो के हाथ पुनः साबुन पानी से धुलवाये गये। समय 05.45 पी.एम पर श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को दलाल श्री हस्तीमल जैन से वार्ता कर उसकी लोकेशन मालुमात करने के लिये पूछा तो श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका ने दलाल श्री हस्तीमल जैन से वार्ता कर बताया कि दलाल हस्तीमल जैन ने मुझे थोडी देर बाद रेल्वे स्टेशन भीलवाडा के सामने मिलने के लिए कहा है। समय 05.55 पी.एम पर श्री गोपाल जोशी हैड कानि, श्री प्रेमराज कानि मय श्री केदार सहनी, श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका के साथ श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका के प्राईवेट वाहन कार से रेल्वे स्टेशन भीलवाडा के सामने के लिए रवाना कर मन् शिव प्रकाश पुलिस उप अधीक्षक, मय गवाह श्री पवन कुमार यादव, श्री गोपाल लाल पॅवार मय श्री प्रहलाद हैड कानि, श्री शिवराज सिंह कानि, श्री विनय प्रताप सिंह मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक विनोद कुमार मय ट्रेप बॉक्स डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया मेमारी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, व अन्य ट्रेप सामग्री के रेल्वे स्टेशन–भीलवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 06.05 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त का रवानाशुदा मय ट्रेप बॉक्स डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया मेमारी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, व अन्य ट्रेप सामग्री के रेल्वे स्टेशन–भीलवाडा के फुट ब्रिज के पास पहुँचा। समय 06.10 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका को श्री गोपाल जोशी हैडकानि से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवा सिपूर्द कर आरोपी द्वारा बताये गये श्री हस्तीमल जैन (दलाल) से सम्पर्क हेतु श्री चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका की प्राईवेट कार से चांदमल उर्फ चन्दु सुवालका व केदार सहनी के रेल्वे स्टेशन के बाहर तम्बोली कचौरी के पास रवाना किया। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान के कुछ दुरी पर सुरक्षित स्थान पर मुकिम रहा। समय 06.18 पी.एम पर रेल्वे स्टेशन के सामने, तम्बोली कचौरी के पास भीलवाडा पर अपने प्राईवेट वाहन कार से नीचे उतर कर परिवादीगण ने निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, शिवप्रकाश ने दोनो उक्त गवाह मय ट्रेप पार्टी सदस्य श्री गोपाल जोशी हैड कानि. 65, श्री प्रहलाद हैडकानि, श्री प्रेमराज कानि. 225, श्री शिवराज सिंह कानि. 235, श्री विनय प्रताप सिंह मय सरकारी वाहन बोलेरो संख्या RJ-14-UC-8657 मय चालक श्री विनोद कुमार 378 के रेल्वे स्टेशन के सामने, तम्बोली कचौरी के पास, भीलवाडा पर परिवादी की खडी कार के पास पहुँचे। जहां श्री चांदमल उर्फ चन्दू सुवालका ने चालू डिजिटिल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश किया, जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक ने लेकर बंद किया। इसके पश्चात श्री चांदमल उर्फ चन्दू सुवालका ने कार के पास खडे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह श्री हस्तीमल जैन है जिनको श्री शिम्भुदयाल द्वारा केदार सहनी के पुर बायपास हाईवे पर निर्माणाधीन मकान को स्वयं द्वारा नही तोडने व एनएचआई अधिकारीयो द्वारा भी नही तोडने की जिम्मेदारी लेने की एवज मे 50,000 रूपये की मांग कर शिम्भुदयाल के कहे अनुसार 50,000 रूपये रिश्वत राशि के दिये है। जिस पर परिवादीगण की कार के

[redacted]

पास खडे हुये व्यक्ति को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो अपना नाम हस्तीमल जैन पुत्र श्री मदन लाल जैन उम्र 52 साल निवासी मकान नं 40 कमला पाम, भीलवाडा होना बताया। जिससे परिवादीगण की तरफ ईशारा कर पूछा की आपने अभी अभी परिवादीगण से 50,000 रूपये रिश्वत राशि शिम्भुदयाल के लिए ग्रहण की है क्या ? जिस पर श्री हस्तीमल जैन ने बताया कि अभी थोडी देर पहले श्री चांदमल उर्फ चन्दू सुवालका ने मुझे फोन कर मिलने के लिये कहा जिस पर मैने उसे रेल्वे स्टेशन भीलवाडा के सामने बुलाया, मै उक्त वार्ता के बाद यहॉ आया जहॉ मुझे चांदमल उर्फ चंदूजी कार सहित मिले इनके साथ एक आदमी और था जिसका परिचय केदार बिहारी के रूप मे करवाया। चांदमल उर्फ चंदू सुवालका के कहने पर केदार बिहारी ने मुझे अपनी जेब से पैसे निकाल कर दिये जो मैने अपने दांहिने हाथ से लेकर अपने पहने हुये जैकेट की आगे की नीचे की दांहिनी जेब मे बिना गिनें ही रख लिये। उक्त राशि में मेरा कोई लेना देना नही है। मुझे दिनांक 06.01.2023 को शिम्भुदयाल जी ने फोन कर कहां कि आपके पास एक आदमी आयेगा जो कुछ पैसे देगा वह आप पैसे आप अपने पास रख लेना मै आपसे बाद मे ले लूंगा। उसके बाद उसी दिन शाम को श्री चांदमल उर्फ चन्दू सुवालका का फोन आया जिसने मुझे कहा कि मै आपस से मिलना चाहता हूँ, जिस पर मैने कहा कि मैं पंजाब नेशनल बैंक के पास, शाम की सब्जी भीलवाडा में हूँ, जिस पर थोडी देर बाद चांदमल उर्फ चन्दू सुवालका आया। मेरी व चांदमल उर्फ चन्दू सुवालका की उसकी कार मे बैठ कर वार्ता हुई तो मैने कहा कि मुझे कोई लेना देना नही है आप मुझे जो पैसे दोगे मैं शिम्भुदयाल जी को दे दूंगा, इसके बाद उस दिन चांदमल उर्फ चन्दू सुवालका अपनी कार लेकर चले गये। श्री चांदमल उर्फ चन्दू सुवालका ने मुझे अभी 50,000 रूपये केदार बिहारी से दिलाये उस पैसे मे मेरा कोई हिस्सा नही है यह राशि शिम्भुदयाल जी के लिए उनके कहे अनुसार ली है। आप चाहो तो इसकी ताईद मैं जरिये फोन करवा सकता हूँ। इस पर पास ही खडे श्री चांदमल उर्फ चन्दू सुवालका ने श्री हस्तीमल जैन द्वारा बतायी गई उक्त बात की ताईद करते हुए बताया कि श्री शिम्भुदयाल के कहे अनुसार श्री केदार सहनी ने 50,000 रूपये अभी अभी श्री हस्तीमल जैन को दिये है। तत्पश्चात केदार सहनी से पूछने पर परिवादी केदार सहनी ने भी उक्त तथ्यो की ताईद की, इसके पश्चात मौके पर आम रास्ता होकर भीड इकट्ठी होने व व्यस्ततम मार्ग होने के कारण कार्यवाही व सुरक्षा मे व्यवधान उत्पन्न होने की आंशका के मध्यनजर अग्रिम कार्यवाही एसीबी चौकी भीलवाडा करने का निश्चय किया। समय 06.25 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री हस्तीमल जैन का दांहिना हाथ श्री विनय प्रताप सिंह व बांया हाथ प्रेमराज कानि से कलाई के उपर से पकडवाकर श्री हस्तीमल जैन को सरकारी बोलेरो वाहन मे बैठाकर श्री हस्तीमल जैन की स्कूटी से श्री शिवराज कानि को रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के सरकारी वाहन बोलेरो व परिवादीगण की प्राईवेट कार से रेलवे स्टेशन भीलवाडा के सामने तम्बोली कचौरी के पास से रवाना एसीबी चौकी भीलवाडा–द्वितीय पर हुआ। समय 06.35 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त का रवानाशुदा एसीबी कार्यालय भीलवाडा–द्वितीय पर पहुॅच अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री हस्तीमल जैन द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने का पर्याप्त संदेह होने पर एसीबी कार्यालय मे रखी पानी के कैम्पर से श्री गोपाल जोशी हैड कानि से साफ पानी मंगाया जाकर एक साफ कांच की गिलास में साफ पानी भरवाकर हाजरीन के समक्ष श्री शिवराज सिंह कानि 235 से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर मिश्रण तैयार किया, जिसे हाजरिन को दिखाने पर घोल के रंग को अपरिवर्तित होना बताया। जिस पर श्री हस्तीमल जैन के दांहिने हाथ की अंगुलिया, अगुंठे को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो दांहिने हाथ के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन को दिखाने पर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। कॉच के गिलास में भरे दाहिने हाथ के धोवण के मिश्रण को दो साफ कॉच की शिशियो मे पृथक–पृथक आधा–आधा भरवा कर सिल–चिट करवाकर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किये गये, चिट व कपड़े पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् एसीबी कार्यालय मे रखी पानी के कैम्पर से श्री गोपाल जोशी हैड कानि से पुनः साफ पानी मंगाया जाकर अन्य कॉच की गिलास में साफ पानी भरवा कर हाजरीन के समक्ष श्री शिवराज सिंह कानि 235 से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर मिश्रण तैयार किया, जिसे हाजरिन को दिखाने पर घोल के रंग को अपरिवर्तित होना बताया। जिस पर श्री हस्तीमल जैन के बॉये हाथ की अंगुॅलिया, अगुंठे को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो बॉये हाथ के घोल का रंग हल्का गुलाबी झाई देता हुआ हो गया, जिसे हाजरीन को दिखाने पर हल्का गुलाबी झाई देता हुआ होना स्वीकार किया। कॉच के गिलास में भरे बॉये हाथ के धोवण के मिश्रण को दो साफ कॉच की शिशियो मे पृथक–पृथक आधा–आधा भरवा कर सिल–चिट करवा कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किये गये, चिट व कपड़े पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। चूकि श्री हस्तीमल जैन ने पूर्व मे बताया कि मैं रिश्वत राशि 50,000 रूपये श्री शिम्भुदयाल के कहने से ली है, जिसकी ताईद हेतू मै श्री शिम्भुदयाल से वार्ता कर पुष्टि करवा सकता हूँ, जिस पर श्री हस्तीमल जैन के मोबाईल नंबर 94133–55570 से श्री शिम्भुदयाल के मोबाईल नंबर 91166–14455 पर कॉल करवा कर स्पीकर ऑन कर पूर्व मे लेन देन की दर्जशुदा वार्ता का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को पुनः चालुकर श्री हस्तीमल जैन व श्री शिम्भुदयाल के मध्य हुई मोबाईल फोन वार्ता को डिजीटल

वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड की गई। इसके पश्चात श्री हस्तीमल जैन की तलाशी स्वतन्त गवाह श्री पवन कुमार यादव से लिवाई गई तो गवाह श्री पवन कुमार यादव ने श्री हस्तीमल जैन की शरीर पर पहने हुई जैकिट बरंग क्रिम कलर की सामने की नीचे की दांहिनी जेब से रूपये निकाल कर पेश किये। उक्त नोटो को गिनने की कहने पर दोनो गवाहान द्वारा गिन कर 500–500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये. होना बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से उक्त नोटो के नंबरो को मिलान पूर्व मे मुर्तिबशुदा दोनो फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से करने के लिये कहने पर दोनो गवाह द्वारा उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो फर्द दृष्टांत एवं सुपुर्दगी नोट से कर उक्त नोटो के नंबरो का मिलान हू–ब–हू होना बताया।

1.	500 रूपये का एक नोट	7SP	249619
2.	500 रूपये का एक नोट	6QC	759136
3.	500 रूपये का एक नोट	4EE	360517
4.	500 रूपये का एक नोट	6BN	741829
5.	500 रूपये का एक नोट	9VE	244939
6.	500 रूपये का एक नोट	7DD	320120
7.	500 रूपये का एक नोट	2TQ	901214
8.	500 रूपये का एक नोट	9KS	429283
9.	500 रूपये का एक नोट	7CC	335337
10.	500 रूपये का एक नोट	1KU	602487
11.	500 रूपये का एक नोट	6DA	549125
12.	500 रूपये का एक नोट	8VA	990848
13.	500 रूपये का एक नोट	3QE	502177
14.	500 रूपये का एक नोट	9TD	049899
15.	500 रूपये का एक नोट	4ET	136064
16.	500 रूपये का एक नोट	6TW	802154
17.	500 रूपये का एक नोट	2AB	514715
18.	500 रूपये का एक नोट	6KA	676311
19.	500 रूपये का एक नोट	8CR	377693
20.	500 रूपये का एक नोट	2RN	215409
21.	500 रूपये का एक नोट	0NT	678274
22.	500 रूपये का एक नोट	4CS	511744
23.	500 रूपये का एक नोट	2KC	815098
24.	500 रूपये का एक नोट	6DH	190451
25.	500 रूपये का एक नोट	6GW	684120
26.	500 रूपये का एक नोट	8DH	804078
27.	500 रूपये का एक नोट	9AE	199279
28.	500 रूपये का एक नोट	7AH	567288
29.	500 रूपये का एक नोट	6DR	869623
30.	500 रूपये का एक नोट	6EQ	922695
31.	500 रूपये का एक नोट	2MM	480733
32.	500 रूपये का एक नोट	2AL	013233
33.	500 रूपये का एक नोट	0BV	022769
34.	500 रूपये का एक नोट	1PC	497112
35.	500 रूपये का एक नोट	3DW	237163
36.	500 रूपये का एक नोट	4HL	861413
37.	500 रूपये का एक नोट	7NC	069735
38.	500 रूपये का एक नोट	2TB	095004
39.	500 रूपये का एक नोट	5QB	872400
40.	500 रूपये का एक नोट	0RG	078228
41.	500 रूपये का एक नोट	3CP	210209
42.	500 रूपये का एक नोट	7UH	221683
43.	500 रूपये का एक नोट	6PK	383067

44.	500 रूपये का एक नोट	6QQ	066272
45.	500 रूपये का एक नोट	1WU	241996
46.	500 रूपये का एक नोट	0CQ	019885
47.	500 रूपये का एक नोट	8KA	415610
48.	500 रूपये का एक नोट	6TD	622749
49.	500 रूपये का एक नोट	7VE	786615
50.	500 रूपये का एक नोट	7RA	994877
51.	500 रूपये का एक नोट	4GE	760920
52.	500 रूपये का एक नोट	6EM	584077
53.	500 रूपये का एक नोट	6PB	382955
54.	500 रूपये का एक नोट	5SQ	319622
55.	500 रूपये का एक नोट	2SV	215793
56.	500 रूपये का एक नोट	0GA	586335
57.	500 रूपये का एक नोट	8AW	765450
58.	500 रूपये का एक नोट	3EC	734785
59.	500 रूपये का एक नोट	9AA	790104
60.	500 रूपये का एक नोट	2RB	153103
61.	500 रूपये का एक नोट	9UB	618211
62.	500 रूपये का एक नोट	7MN	059023
63.	500 रूपये का एक नोट	5LP	026452
64.	500 रूपये का एक नोट	5SG	127555
65.	500 रूपये का एक नोट	5CA	912081
66.	500 रूपये का एक नोट	4TK	555778
67.	500 रूपये का एक नोट	9HU	755873
68.	500 रूपये का एक नोट	3DE	815336
69.	500 रूपये का एक नोट	8GG	592762
70.	500 रूपये का एक नोट	1GA	808391
71.	500 रूपये का एक नोट	4BR	415232
72.	500 रूपये का एक नोट	0DK	835647
73.	500 रूपये का एक नोट	2EP	154818
74.	500 रूपये का एक नोट	7AB	997964
75.	500 रूपये का एक नोट	4MK	340889
76.	500 रूपये का एक नोट	9RA	457644
77.	500 रूपये का एक नोट	5BB	708395
78.	500 रूपये का एक नोट	0FA	443966
79.	500 रूपये का एक नोट	8VM	797019
80.	500 रूपये का एक नोट	9BK	518808
81.	500 रूपये का एक नोट	0CM	275935
82.	500 रूपये का एक नोट	7GK	930162
83.	500 रूपये का एक नोट	3AC	535246
84.	500 रूपये का एक नोट	9DE	158067
85.	500 रूपये का एक नोट	3SD	693649
86.	500 रूपये का एक नोट	9PB	050184
87.	500 रूपये का एक नोट	2GT	648696
88.	500 रूपये का एक नोट	2RP	252266
89.	500 रूपये का एक नोट	1CU	584031
90.	500 रूपये का एक नोट	7FD	732610
91.	500 रूपये का एक नोट	8QM	275266
92.	500 रूपये का एक नोट	7EW	996394
93.	500 रूपये का एक नोट	5SK	762399

94.	500 रूपये का एक नोट	5BB	402836
95.	500 रूपये का एक नोट	0DF	978153
96.	500 रूपये का एक नोट	0FD	308541
97.	500 रूपये का एक नोट	2QN	975571
98.	500 रूपये का एक नोट	8QL	610460
99.	500 रूपये का एक नोट	8FL	363328
100.	500 रूपये का एक नोट	7AM	649756

उक्त सभी नोटों को एक सफेद कागज की चिट लगा कर शिल्ड कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क "N" अंकित कर कब्जे ए.सी.बी. लिये। इसके पश्चात एक अन्य साफ कांच की गिलास में श्री गोपाल जोशी हैडकानि से साफ–पानी भरवा कर हाजरीन के समक्ष श्री शिवराज सिंह कानि से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर मिश्रण तैयार किया, जिसे हाजरीन को दिखाने पर गिलास के मिश्रण को रंगहीन होना स्वीकार किया। श्री हस्तीमल जैन की जैकेट बरंग क्रिम कलर की सामने की नीचे की दांहिनी जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई बरंग बरंग क्रिम कलर की सामने की नीचे की दाहिनी जेब को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के उक्त रंगहीन मिश्रण में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया, जिसे हाजरीन को दिखाने पर उनके द्वारा धोवण के मिश्रण का रंग गुलाबी होना स्वीकार करने पर उक्त धोवण के मिश्रण को दो साफ कॉच की शिशियो मे पृथक–पृथक आधा–आधा भरवा कर सिल–चिट करवा कर मार्क J-1, J-2 अंकित किये जाकर चिट व कपड़े पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शीशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् श्री हस्तीमल जैन की उक्त जैकेट की सामने की नीचे की दांहिने जेब को सुखाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करा कर उक्त जैकेट बरंग क्रिम कलर को सफेद कपड़े की थेली में रखकर सीलचिट कर मार्क–J अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी ली गई। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने इमरोज रिश्वत राशि लेन देन की दर्ज वार्ता व मोबाईल फोन पर हुई वार्ता की रिकॉर्ड वार्ता का ड़िजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाह एवं परिवादीगण के समक्ष सुना गया तो रिश्वत लेन देन व मोबाईल फोन पर हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पायी। रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट एवं पैन ड्राईव मे कॉपी अकब से तैयार करवायी जायेगी। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से श्री शिम्भुदयाल द्वारा केदार सहनी के पुर बायपास हाईवे पर निर्माणाधीन मकान को स्वयं द्वारा नही तोडने व एन.एच.ए.आई. अधिकारीयो द्वारा भी नही तोडने की जिम्मेदारी लेकर 50,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर शिम्भुदयाल के कहे अनुसार 50,000 रूपये रिश्वत राशि श्री चॉदमल उर्फ चंदू सुवालका के समक्ष आज दिनांक 12.01.2023 को परिवादी श्री केदार सहनी द्वारा श्री हस्तीमल जैन (दलाल) को देना तथा श्री हस्तीमल जैन (दलाल) द्वारा परिवादी श्री केदार सहनी से रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कर अपनी पहनी हुयी जैकेट की सामने की नीचे की दाहिनी जेब मे रखना जहॉ से रिश्वत राशि 50,000 रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 बी भादस का अपराध प्रमाणित पाया जाता हैं। उक्त फर्द बरामदगी टंकण समय 06.40 पी.एम. से प्रारंभ होकर समय 08:30 पी.एम. पर सम्पन्न होकर ए.सी.बी. कार्यालय के सरकारी लेपटांप पर श्री प्रेमराज कानि 225 से तैयार करवायी गई। कार्यवाही के दौरान प्रकाश की उचित व्यवस्था रही। समय 08.35 पी.एम पर मन् शिव प्रकाश पुलिस उप अधीक्षक मय गवाह श्री पवन कुमार यादव, श्री गोपाल लाल पॅवार मय श्री गोपाल जोशी, श्री प्रेमराज कानि मय परिवादीगण श्री केदार सहनी, श्री चॉदमल उर्फ चंदू सुवालका, आरोपी श्री हस्तीमल जैन को हमरा ले मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक विनोद कुमार मय आवश्यक सामग्री के आरोपी शिम्भुदयाल बावरिया के मकान सुभाषनगर भीलवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 08.50 पी.एम पर मन् शिव प्रकाश पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त का रवानाशुदा आरोपी शिम्भुदयाल बावरिया के मकान सुभाषनगर भीलवाडा पहुँचा। जहां आरोपी श्री शिम्भुदयाल बावरिया उपस्थित मिला। जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान का परिचय देकर अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री शिम्भुदयाल पुत्र श्री उमराव सिंह बावरिया, उम्र–50 साल, निवासी सुभाषनगर, पोस्ट–मीरपुर, पुलिस थाना–नारनोल, जिला–महेन्द्रगढ हाल निवास म.न. 41, शिव मन्दिर के पास, जैन किराणा के सामने–सुभाषनगर, भीलवाडा हाल लाइजन अधिकारी, आई.आर.बी., मॉर्डन रोड मैकर्स प्रा.लि. होना बताया। जिसे केदार सहनी के पुर बाईपास हाईवे रोड लक्ष्मीपुरा पर निर्माणाधीन मकान को स्वयं द्वारा नही तोडने व एन.एच.ए.आई. अधिकारीयो द्वारा भी नही तोडने की जिम्मेदारी लेने की एवज मे 50,000 रूपये की रिश्वत की मांग कर रिश्वत राशि 50,000 रूपये श्री हस्तीमल जैन को देने के लिए परिवादीगण को कहा क्या ? पूछने पर आरोपी शिम्भुदयाल बावरिया चुप हो गया और कहां कि गलती हो गई है, मैं प्राईवेट कम्पनी का आदमी हूॅ, माफ कर दो। जिसे डिटेन कर विस्तृत पूछताछ हेतू हमरा लिया गया। समय 09.10 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष श्री शिम्भुदयाल बावरिया की मौजूदगी मे श्री शिम्भुदयाल बावरिया के किराये के कमरे मे संदिग्ध राशि, दस्तावेज मिलने की सम्भावना के मध्यनजर कमरे की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब की गई। समय 09.55

[redacted]

पी.एम पर मन् शिव प्रकाश पुलिस उप अधीक्षक मय गवाह श्री पवन कुमार यादव, श्री गोपाल लाल पॅवार मय श्री गोपाल जोशी, श्री प्रेमराज कानि मय परिवादीगण श्री केदार सहनी, श्री चॉदमल उर्फ चंदू सुवालका, आरोपी श्री हस्तीमल जैन, श्री शिम्भुदयाल बावरिया को हमरा ले मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक विनोद कुमार के आरोपी शिम्भुदयाल बावरिया के मकान सुभाषनगर भीलवाडा से एसीबी चौकी भीलवाडा–द्वितीय के लिये रवाना हुआ। समय 10.05 पी.एम पर मन् शिव प्रकाश पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त का रवानाशुद्वा एसीबी चौकी भीलवाडा–द्वितीय उपस्थित आया। समय 10.15 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री हस्तीमल जैन पुत्र श्री मदन लाल जैन, उम्र 52 साल निवासी मकान नं 40 कमला पॉम, भीलवाडा को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 10.30 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री शिम्भुदयाल पुत्र श्री उमराव सिंह बावरिया, उम्र–50 साल, निवासी सुभाषनगर, पोस्ट–मीरपुर, पुलिस थाना–नारनोल, जिला–महेन्द्रगढ हाल निवास म.न. 41, शिव मन्दिर के पास, जैन किराणा के सामने–सुभाषनगर, भीलवाडा हाल लाइजन अधिकारी, आई.आर.बी., मॉर्डन रोड मैकर्स प्रा.लि. को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 11.00 पी.एम पर श्री गोपाल जोशी हैडकानि, श्री विनय प्रताप सिंह मय वाहन सरकारी बोलेरो चालक श्री विनोद कुमार को पी.एम.ओ. महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाडा व थानाधिकारी पुलिस थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपी श्री शिम्भुदयाल बावरिया व श्री हस्तीमल जैन का राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य परिक्षण करवा बाद जांच पुलिस थाना सुभाषनगर में सुरक्षित सुरक्षार्थ जमा करवाने की हिदायत कर रवाना किया। दिनांक 13.01.2023 समय 12.15 ए.एम पर कार्यालय के मालखाना से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.12.2022 के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री प्रहलाद कुमार हैडकानि से निकलवाया जाकर रिश्वत राशि मॉग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.12.2022 बरूबरू श्री चांदमल उर्फ चन्दू सुवालका व आरोपी श्री शिम्भुदयाल बावरिया के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री अशोक कुमार कानि. की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 13.01.2023 समय 01.40 ए.एम पर श्री गोपाल जोशी हैडकानि, श्री विनय प्रताप सिंह मय वाहन सरकारी बोलेरो चालक श्री विनोद कुमार उपस्थित आये व बताया कि आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवा सुरक्षार्थ पुलिस थाना सुभाषनगर जमा करवा कर रसीद प्राप्त कर उपस्थित आये है। समय 01.45 ए.एम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 21.12.2022 को बरूबरू श्री चांदमल उर्फ चन्दू सुवालका, श्री केदार सहनी व आरोपी श्री शिम्भुदयाल बावरिया के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता (लेन–देन प्रयास वार्ता) जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री अशोक कुमार कानि. की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.30 ए.एम पर कार्यालय के मालखाना से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता दिनांक 06.01.2023 के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड जो श्री प्रहलाद कुमार हैडकानि से निकलवाकर दिनांक 06.01.2023 को वॉटसएप कॉल पर श्री चांदमल उर्फ चन्दू सुवालका व आरोपी श्री शिम्भुदयाल बावरिया के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री अशोक कुमार कानि. की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04.30 ए.एम पर कार्यालय के मालखाना से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री प्रहलाद कुमार हैडकानि से निकलवाकर दिनांक 06.01.2023 को फोन कॉल पर श्री चांदमल उर्फ चन्दू सुवालका व आरोपी श्री हस्तीमल जैन (दलाल) के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री अशोक कुमार कानि. की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.30 ए.एम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो दिनांक 06.01.2023 को बरूबरू श्री चांदमल उर्फ चन्दू सुवालका आरोपी श्री हस्तीमल जैन (दलाल) के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री अशोक कुमार कानि. की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.15 ए.एम पर रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता जो दिनांक 12.01.2023 को बरूबरू श्री चांदमल उर्फ चन्दू सुवालका, श्री केदार सहनी व आरोपी श्री हस्तीमल जैन (दलाल) के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री अशोक कुमार कानि. की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08.30 ए.एम पर रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता जो दिनांक 12.01.2023 को आरोपी श्री हस्तीमल जैन (दलाल) के फोन से आरोपी श्री शिम्भुदयाल बावरिया के मध्य जरिये फोन हुई वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस

रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द सुन कम्प्युटर की सहायता से श्री अशोक कुमार कानि. की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.30 ए.एम पर मांग सत्यापन वार्ताऐ दिनांक 09.12.2022, 21.12.2022, 06.01.2023 व लेन–देन वार्ताऐ दिनांक 12.01.2023 मे परिवादीगण व आरोपीगण के मध्य हुई वार्ताओ के मूल मेमोरी कार्डस मे दर्ज शुदा सभी वार्ताओ को 4 पैन ड्राईव में श्री अशोक कुमार कानि से कॉपी करवा तीन पैन ड्राईव को पृथक–पृथक कागज के लिफाफे मे रख सफेद कपडे की थैली में रखकर सील चिट कर मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पैन ड्राईव को कागज के लिफाफे मे रखकर अनुसंधान अधिकारी के लिये शामिल पत्रावली किया गया.। समय 10.30 ए.एम पर मांग सत्यापन वार्ताऐ दिनांक 09.12.2022, 21.12.2022, 06.01.2023 व लेन–देन वार्ताऐं दिनांक 12.01.2023 मे परिवादीगण व आरोपीगण के मध्य हुई वार्ताओ के मूल मेमोरी कार्डस नंग–5 को सफेद पृथक–पृथक कागज में लपेटकर कागज के लिफाफे मे रख सफेद कपडे की थैली में रख मार्क M अंकित कर सिल चिट कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 11.30 ए.एम पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादीगण को दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास–सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमुना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पहुंच पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई। फर्द नमुना व नाशानी नमुना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन–समझ कर व पढ़कर सही मान अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 12.15 पी.एम पर जब्तशुदा सिल्डचिट रिश्वती राशि 50,000 रूपये मार्क N सिल्ड चिट शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2, J-1, J-2 आरोपी हस्तीमल जैन की पहनी हुई जेकेट मार्क–J सिल्डचिट शुदा, तीन पैन ड्राईव सफेद पृथक–पृथक कपडे की थैली में सिल्डचिट मार्क A-1 , A-2, A-3 व अनुसंधान अधिकारी का पैन ड्राईव मार्क–A-4, तथा सफेद कपडे की थैली में सिल्ड चिट शुदा मेमोरी कार्डस नंग 01 मार्क–M इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री प्रहलाद कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 12.25 पी.एम पर पैन ड्राईव बनाने के सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख का प्रमाण पत्र तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। घटनास्थल पर पहुँच फर्द निरीक्षण घटनास्थल किया। श्री गोपाल जोशी हैडकानि, श्री विनय प्रताप सिंह मय वाहन प्राईवेट से आरोपी श्री शिम्भुदयाल बावरिया व श्री हस्तीमल जैन को पुलिस थाना सुभाषनगर से प्राप्त कर लाये। समय 02.15 पी.एम पर परिवादीगण व दोनों स्वतन्त्र गवाहान व श्री प्रहलाद हैडकानि, श्री पवन कुमार कानि, को हिदायत कर रूखसत किया गया।

उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से श्री शिम्भुदयाल बावरिया (एन.एच.ए. आई. से सबंद्व) द्वारा केदार सहनी के पुर बाईपास हाईवे पर निर्माणाधीन मकान को स्वयं द्वारा नही तोडने व एन.एच.ए.आई. अधिकारीयो द्वारा भी नही तोडने की जिम्मेदारी लेकर स्वयं के लिए व एन.एच. ए.आई. अधिकारियो के नाम से 50,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर शिम्भुदयाल के कहे अनुसार 50,000 रूपये रिश्वत राशि श्री चॉदमल उर्फ चंदू सुवालका की मौजुदगी मे दिनांक 12.01.2023 को परिवादी श्री केदार सहनी द्वारा श्री हस्तीमल जैन (दलाल) को देना तथा श्री हस्तीमल जैन (दलाल) द्वारा परिवादी श्री केदार सहनी से रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कर अपनी पहनी हुयी जैकेट की सामने की नीचे की दाहिनी जेब मे रखना जहॉ से रिश्वत राशि 50,000 रूपये बरामद होना जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 बी भादस का अपराध प्रमाणित पाया जाता हैं।

अतः आरोपीगण 1. श्री शिम्भुदयाल पुत्र श्री उमराव सिंह बावरिया, उम्र–50 साल, निवासी सुभाषनगर, पोस्ट–मीरपुर, पुलिस थाना–नारनोल, जिला–महेन्द्रगढ हाल निवास म.न. 41, शिव मन्दिर के पास, जैन किराणा के सामने–सुभाषनगर, भीलवाडा हाल लाइजन अधिकारी, आई.आर.बी., मॉर्डन रोड मैकर्स प्रा.लि. 2. श्री हस्तीमल जैन पुत्र श्री मदन लाल जैन उम्र 52 साल निवासी मकान नं 40 कमला पॉम, भीलवाडा (दलाल) के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते कमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(शिव प्रकाश)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
भीलवाडा–द्वितीय।

[redacted]

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शिवप्रकाश, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपी 1. श्री शिम्भुदयाल पुत्र श्री उमराव सिंह बावरिया, लाइजन अधिकारी, आई.आर.बी., मॉर्डन रोड़ मैकर्स प्रा.लि. एवं 2. श्री हस्तीमल जैन पुत्र श्री मदन लाल जैन(दलाल) निवासी मकान नं. 40 कमला पॉम भीलवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 12/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14.1.23
(योगेश दधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक:- 90-93 दिनांक 14.1.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. निदेशक तकनीकी, आई.आर.बी., मॉर्डन रोड़ मैकर्स प्रा.लि. 3फ्लोर आई.आर.बी. कॉम्पलेक्स, चान्दीवली, अन्धेरी पूर्व मुम्बई।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय।

14.1.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर